

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021 फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2009/ दिनांक : १० जनवरी, 2009 38 486 - ९०

सेवा में,

निदेशक, एकेडमी ऑफ बिजनेस एण्ड इंजी० सांइसेज, गाजियाबाद।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2437/सोलह-1-2008-13(47)/2007TC, दिनांक 09 जुलाई 2008 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमित से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर 2008 में एकेडमी ऑफ बिजनेस एण्ड इंजी० सांइसेज, गाजियाबाद को एम०बी०ए० पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- 1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित कमियों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 2. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बन्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं /विवरण में किसी, भी प्रकार की श्रीट शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- 4. संस्था से एक माह के अन्दर, विलम्बतम 30 जनवरी, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 5. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 जनवरी, 2009 तक यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात
 2009-10 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेंगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सिम्मिलित किया जा सकेंगा।
- 8. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकिस्मक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकिस्मक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकिस्मक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस्क्रीमर) फिलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
- 2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर) कुलसचिव



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021 फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2009/

दिनांक : 9 जनवरी, 2009 37747-51

सेवा में,

निदेशक, एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइस, गाजियाबाद।

विषय: संस्था को शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 2468/सोलह-1-2008-13(47)/2007TC, दिनांक 09 जुलाई 2008 से शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमित से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 में एकेडमी आफ बिजनेस एण्ड इंजीनियरिंग सांइस, गाजियाबाद के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

120 सीट

1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०

2. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजी० 120 सीट

3. इनफारमेशन टेक्नोलाजी 60 सीट

4. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60 सीट

5. इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग 60 सीट

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2008-09 हेतु दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- 1. संस्था द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शित किमयों को अनिवार्यतः आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।
- 2. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 3. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं /विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन /विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।

- 4. संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2008-09 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सिम्मिलित किया जा सकेगा।
- 5. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं / विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को शासन द्वारा प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- 6. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकिस्मक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकिस्मक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकिस्मक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने /विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तीमर)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. प्रमुख सिचव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
- 2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)

कुलसचिव